न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्या:– 39/2018 तारीख रजू 18.05.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

बुधसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री देवी सिंह राजपुरोहित निवासी कोलू पाबूजी तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान हाल निवासी चौथ का बरवाडा मै0–जोधपुर मिष्ठान भण्डार (मैन बाजार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

निर्णयः– दिनांक 21/9/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17.10.2017 को समय लगभग 03.00 पी.एम. पर **मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार मैन बाजार चौथ जिला सवाई माधोपुर** पर पहुॅचा। वहॉ पर बुधसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोलू पाबूजी तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान हाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित मिला आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लगभग 15 किलोग्राम दुकान में स्टील की ट्रे में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 500/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी 2 किलोग्राम को चार बराबर भागों में विभक्त कर कांच की शिशियों में [illegible]–40 बूंद फॉर्मेलीन की डालकर अच्छी तरह से बंद किया तथा चार लेबल तैयार करके उन पर [illegible] का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, [illegible] खाकी कागज [illegible]कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर [illegible] पेपर स्लिप क्रमांक एच–1299 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवदेक ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर गवाह एवं विक्रेता बुधसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री देवी सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। बाकी बचे नमूने के दो सील बन्द शीशी (i व iii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3536 दिनांक 20.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 908/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/794 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ मावा बर्फी असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food) प्रकृति का पाया गया।** जिसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को नियम 2.4.2 (6) के तहत देते हुए धारा 46 की उपधारा (4) के तहत फार्म नं. 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत 30 दिवस का समय दिया गया। विक्रेता द्वारा रेफरल लेब में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नमूना जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 डीओ/74/18/286/2018 दिनांक 27.03.2018 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के अन्तर्गत नमूना **सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **सबस्टण्डर्ड** प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का निर्माण/विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) एवं धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.09.2022 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का मय जवाब प्रस्तुत कर आज ही निस्तारण करने पर पत्रावली तलब की जाकर आज पेश हुयी। पत्रावली पेश होने [illegible] एवं अभियुक्तगण की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवे[illegible] अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्ट[illegible] एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) [illegible] का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति [illegible] दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त
सवाई माधोपुर

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मावा बर्फी को निम्न स्तर की माना जाकर स्वयं द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ का आगे विक्रय नहीं करने हेतु जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुए यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी बाहर रहता है, उक्त फर्म वर्तमान में संचालित नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा भूलवश उक्त कृत्य प्रथम बार कारित किया है। अतः प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट संख्या 908/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/794 दिनांक 01.11.2017 एवं रेफरल प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 डीओ/74/18/286/2018 दिनांक 27.03.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर/पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। तथा जॉच दोनो लेबो की जॉच से प्रमाणिक है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है। चूंकि, अभियुक्त वर्तमान में बाहर रहता है तथा उक्त फर्म वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है एवं अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार कारित किया है, अभियुक्त के विरूद्ध सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। किन्तु, अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर